न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

———

प्रकरण क्रमांक निग0 861–एक/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–1–13 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला मुरैना म.प्र. प्रकरण क्रमांक 45/2011–12/स्व. निगरानी.

———

1– विद्याराम पुत्र रामदयाल

2– बलवीर पुत्र रामदयाल
जाति कुशवाह निवासी ग्राम कल्याणपुरा
मौजा नरहौली तहसील जौरा,
जिला मुरैना ——— आवेदकगण

विरूद्ध

1– म0प्र0 शासन

2– सोनेराम पुत्र रामसिंह,
जाति कुशवाह निवासी कल्याणपुरा
मौजा नरहौली तहसील जौरा जिला मुरैना

3– मुकेश पुत्र लज्जाराम जाति जाटव
निवासी ग्राम चुन्नी का पुरा मौजा नरहौली
तहसील जौरा जिला मुरैना

4– हरवीर पुत्र जनवेद जाति जाटव
निवासी ग्राम चुन्नी का पुरा मौजा नरहौली
परगना जौरा जिला मुरैना म.प्र. ——— अनावेदकगण

———

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस. के. वाजपेई ।
अनावेदक क्र. 1 शासन की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव ।
अनावेदक क्र. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री ए.के. अग्रवाल ।
अनावेदक क्र. 3 की ओर से अधिवक्ता श्री ओ. पी. शर्मा ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 04-06-2015 को पारित)

———

यह निगरानी कलेक्टर, जिला मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 45/2011–12/स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24–1–13 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क. 2 सोनेराम द्वारा अधीनस्थ न्ययालय में इस आशय की शिकायत प्रस्तुत की गई कि ग्राम नरहौली स्थित शासकीय पट्टे कीभूमि सर्वे नं. 483/1/1 एवं 483/1/2 जो कि राजस्व अभिलेख में अनावेदक कमांक 3 एवं 4 के नाम अंकित होकर अहस्तांतरणीय दर्ज है । अनावेदक क. 3 एवं 4 द्वारा उक्त भूमि के विक्रय का अनुबंध आवेदकों के पक्ष में अवैध रूप से संपादित किया गया है, जबकि पट्टे की भूमि को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के विक्रय नहीं किया जा सकता है । शिकायत में उनके द्वारा अनावेदक कमांक 3 एवं 4 को दिए गए पट्टो को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया । उक्त शिकायती आवेदन पत्र की जांच तहसीलदार जौरा से कराई जाकर अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया एवं आवेदकों तथा अनावेदक कमांक 3 एवं 4 को कारण बताओ सूचनापत्र जारी किया जाकर उनका जबाव प्राप्त किया गया। तत्पश्चात कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा प्रश्नाधीन अंतरण अवैध एवं विधि विरूद्ध होने से शून्य एवं व्यर्थ घोषित किया गया साथ ही उन्होंने उप पंजीयक को निर्देश दिए गए कि वे प्रश्नाधीन भूमि का कोई भी विक्रय पत्र बिना सक्षम अधिकारी की आज्ञा के बिना पंजीयन न करें । इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक क. 1 एवं 2 के अधिवक्ताओं द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किये जाने का निवेदन किया गया है ।

4/ अनावेदक कमांक 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आावेदकों ने फर्जी तरीके से अनावेदक क. 3 से अनुबंध कराया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है वह उचित है ।

6/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण शासकीय भूमि के अंतरण के संबंध में जो पट्टे पर दी गई थी । पट्टे पर दी गई शासकीय भूमि का अंतरण बिना कलेक्टर की अनुमति के नहीं किया जा सकता यह स्पष्ट अभिमत माननीय उच्च न्यायालय का है । ऐसी स्थिति में जो तथाकथित अंतरण है वह अवैध होकर मान्य किए जाने योग्य नहीं है । अतः जिलाध्यक्ष ने आलोच्य आदेश के द्वारा अंतरण विधि विरूद्ध होने से शून्य और व्यर्थ घोषित करने का

जो आदेश दिया है वह अपने स्थान पर उचित और न्यायिक है और उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर